भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3010

उत्तर देने की तारीख: 20/03/2023

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

†3010. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्री धनुष एम. कुमार:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री जी. सेल्वम:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है और यदि हां, तो इस कार्यक्रम के तहत अब तक प्रशिक्षत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षकों की संख्या कितनी हैं;
(ख) क्या देश में प्रशिक्षित/कुशल शिक्षकों की कमी के कारण विभिन्न राज्यों में शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है और यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु में तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोई परिवर्तन/अद्यतनीकरण करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या प्रस्तावित परिवर्तनों से देश में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) देश में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) क्या सरकार ने शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली का पुनर्गठन किया है और पाठ्यक्रमों की अवधि बढ़ा दी तथा इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने 21 अगस्त, 2019 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के शिक्षकों सहित प्रारंभिक शिक्षकों के लिए स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) नामक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। कोविड महामारी के मद्देनजर, प्रारंभिक शिक्षकों के लिए निष्ठा 06 अक्टूबर, 2020 को ऑनलाइन किया गया था और प्राथमिक स्तर पर निष्ठा का शेष प्रशिक्षण, एनसीईआरटी द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक रूप से बनाई गई ई-सामग्री का उपयोग करते हुए दीक्षा मंच पर ऑनलाइन आयोजित किया गया था।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में महत्वपूर्ण विचारशीलता को प्रोत्साहित और संपोषित करने के लिए बढ़ावा देना, विभिन्न स्थितियों को संभालना और प्रथम स्तर के परामर्शदाताओं का कार्य करने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित करना है। यह कार्यक्रम अधिगम परिणामों, योग्यता आधारित अधिगम और परीक्षण, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षाशास्त्र, स्कूल सुरक्षा और संरक्षा, व्यक्तिगत-सामाजिक गुणों, समावेशी शिक्षा, शिक्षण-अधिगम में कृत्रिम बौद्धिकता सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), योग सहित स्वास्थ्य और कल्याण, पुस्तकालय, ईको क्लब, यूथ क्लब, किचन गार्डन सहित स्कूली शिक्षा में पहलों, स्कूल नेतृत्व के गुण, पर्यावरण संबंधी सरोकारों, प्री-स्कूल, पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा और रूचिकर अधिगम तरीके में स्कूल आधारित मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर शिक्षकों के कौशल के विकास पर उन्मुख है।

इसके अलावा, शिक्षकों की गुणवत्ता और छात्रों के अधिगम परिणामों में सुधार पर फोकस करते हुए निष्ठा का फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरसी और माध्यमिक स्तर तक विस्तार किया गया है। अब तक **33** राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने **10** भाषाओं में माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए दीक्षा पर निष्ठा **2.0** (माध्यमिक स्तर) और प्री-प्राइमरी से कक्षा **V** तक **11** भाषाओं में शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के लिए दीक्षा मंच पर निष्ठा **3.0**- फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी (एफएलएन) ऑनलाइन मोड में शुरू किया है।

निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षकों सहित अब तक प्रशिक्षित प्राथमिक, माध्यमिक और पूर्व प्राथमिक शिक्षकों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	कार्यक्रम		अब तक प्रमाणित स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की संख्या
1.	निष्ठा	फेस टू फेस	17,73,312

	(प्रारंभिक)	मोड	
		ऑनलाईन मोड	22,64,539
2.	निष्ठा 2.0 (माध्यमिक)		7,22,712
3.	निष्ठा 3.0 (एफएलएन)		12,26,992

(आंकडों का स्रोतः एनसीईआरटी)

नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अनुसार, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) मानदंड क्रमशः 30:1 और 35:1 हैं। यूडीआईएसई 2021-22 (अनंतिम) के अनुसार सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पीटीआर 28:1 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 24:1 है, जो निर्धारित मानदंडों से बेहतर है, छात्र-शिक्षक अनुपात का महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों सहित राज्यवार विवरण अनुलग्नक में है।

(ङ): भारत सरकार देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिश के अनुरूप बनाया गया है। एनईपी 2020 के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसरण में, समग्र शिक्षा के तहत स्कूल शिक्षा में कई पहलें अर्थात ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने के लिए समझ और संख्यात्मकता (एनआईपीयूएन भारत) के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल, विद्या-प्रवेश तीन माह के प्ले-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए दिशानिर्देश; राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा; निष्ठा 1.0, 2.0 और 3.0 शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों/प्राचार्यों और शैक्षिक प्रबंधन में अन्य हितधारकों के लिए स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम; सीबीएसई स्कूलों में ग्रेड 3, 5 और 8, आदि के लिए योग्यता-आधारित मूल्यांकन के लिए सफल (सीखने के स्तर का विश्लेषण करने के लिए संरचित आकलन) आदि शुरू की गई हैं ।

(च): एनईपी 2020 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समृद्ध शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) पर बल दिया गया है। इस संबंध में, प्रत्येक शिक्षक और स्कूल के प्रधानाचार्य से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्वयं के हित में संचालित, अपने स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए हर साल कम से कम 50 घंटे सीपीडी में भाग लें।

इसके अलावा, एनईपी 2020 के पैरा 5.20 के अनुसरण में, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) पर मसौदा मार्गदर्शक दस्तावेज तैयार किया गया है और एनपीएसटी का एक पायलट अध्ययन शुरू किया गया है। साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के पैरा 15.5 के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) अधिसूचित किया है।

*****

अनुलग्नक

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे, श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ. सुभाष रामराव भामरे, डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., श्री सी.एन. अन्नादुरई, श्री धनुष एम. कुमार, श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्रीमती मंजुलता मंडल और श्री जी. सेल्वम द्वारा दिनांक 20.03.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3010 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्यवार छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) - 2021-22

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10	11
आंध्र प्रदेश	24	17
अरुणाचल प्रदेश	11	10
असम	23	18
बिहार	60	31
चंडीगढ़	36	19
छत्तीसगढ	23	23
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	33	34
दिल्ली	40	39
गोवा	15	12
गुजरात	30	26
हरियाणा	32	25
हिमाचल प्रदेश	15	11
जम्मू और कश्मीर	13	9
झारखंड	33	38
कर्नाटक	20	16
केरल	26	29
लद्दाख	5	3
लक्षद्वीप	17	16
मध्य प्रदेश	25	34
महाराष्ट्र	22	25
मणिपुर	10	12
मेघालय	20	13
मिजोरम	14	7
नगालैंड	7	5
ओडिशा	19	19
पुदुचेरी	19	15
पंजाब	25	24
राजस्थान	26	16
सिक्किम	5	9
तमिलनाडु	25	18
तेलंगाना	25	16
त्रिपुरा	19	22
उत्तर प्रदेश	29	33
उत्तराखंड	18	18
पश्चिम बंगाल	29	35
भारत	**28**	**24**

(स्रोत: यूडाइज+ 2021-22)

*****